# मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 7 अक्तूबर 2023

एमसीआईआर

## विषयवस्तु


| खंड | पृष्ठ |
|---|---|
| I. मौद्रिक नीति | 1-2 |
| II. विनियमन | 2-4 |
| III. भुगतान और निपटान प्रणाली | 4 |
| IV. ऋण प्रबंधन | 4 |
| V. फिनटेक | 4 |
| VI. प्रकाशन | 4 |
| VII. सर्वेक्षण | 4 |
| VIII. जारी आंकड़े | 4 |


## संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

**योगेश दयाल**
**संपादक**

# I. मौद्रिक नीति

## गवर्नर का 6 अक्तूबर 2023 को मौद्रिक नीति वक्तव्य

6 अक्तूबर 2023 को गवर्नर ने मौद्रिक नीति वक्तव्य दिया। अर्थशास्त्र में कौटिल्य की बातों का उल्लेख करते हुए, गवर्नर ने समान धन वितरण और संवृद्धि को बढ़ावा देने में स्थिरता की स्थायी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समष्टि आर्थिक स्थिरता और समावेशी संवृद्धि किसी देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। हाल के वर्षों में नीतिगत दृष्टिकोण ने सफलतापूर्वक समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता दोनों को मजबूत किया है, पिछली चुनौतियों को बैंकों और निगमों के लिए लाभकारी स्थिति में बदल दिया है।

सतर्कता के महत्व और आत्मसंतुष्टि से बचने पर जोर देते हुए, गवर्नर ने ऐतिहासिक वित्तीय संकटों से सबक लेते हुए तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य में सभी हितधारकों को अपनी स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, रिज़र्व बैंक ने उच्च मुद्रास्फीति को एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचाना है और इसे 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक के दौरान एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उत्तरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो।

नीतिगत दर और रुख पर एमपीसी के तर्क के बारे में जानकारी देते हुए, गवर्नर ने कहा कि टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों के कारण जुलाई में हेडलाइन मुद्रास्फीति, अगले महीनों में कुछ बदलाव के साथ, बढ़ी। इन सबके बीच मूल मुद्रास्फीति अर्थात, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई में गिरावट एक आशा की किरण है। तथापि, समग्र मुद्रास्फीति संभावना के लिए अनिश्चितताएँ, प्रमुख फसलों की बुआई में कमी, कम जलाशय स्तर और अस्थिर वैश्विक खाद्य और ऊर्जा कीमतों जैसे कारकों से उत्पन्न हुई हैं। उभरती मुद्रास्फीति-संवृद्धि गतिकी और संचयी नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोत्तरी, जो अभी भी अर्थव्यवस्था में काम कर रही है, को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने इस बैठक में नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंक (बीपीएस) की वृद्धि का बैंक ऋण और जमा दरों में संचरण अभी भी अधूरा है और इसलिए एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

## एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 6 अक्तूबर 2023 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य i) विनियमन ii) भुगतान प्रणाली और iii) उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपाय निर्धारित करता है।

**i) विनियमन**

***1. अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के लिए विवेकपूर्ण ढांचा - कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएं***

परियोजना वित्त, आम तौर पर लंबे निर्माण- पूर्व अवधि सहित अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न जटिलताओं से चित्रित होता है। परियोजना वित्त को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने और सभी विनियमित संस्थाओं में निर्देशों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की गई है और सभी विनियमित संस्थाओं के लिए लागू एक व्यापक विनियामक ढांचा जारी करने का प्रस्ताव है।

***2. ऋण संकेन्द्रण मानदंड – ऋण जोखिम अंतरण***

गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनी - अपर लेयर (एनबीएफसी - यूएल) के लिए बड़े एक्सपोजर ढांचे संबंधी मौजूदा दिशानिर्देश, मूल काउंटर-पार्टी के लिए एक्सपोजर को कुछ ऋण जोखिम अंतरण लिखतों के साथ ऑफसेट करने की

अनुमति देते हैं। हालाँकि, मिडिल लेयर (एमएल) और बेस लेयर (बीएल) में एनबीएफसी के लिए मौजूदा ऋण सकेंद्रण मानदंड स्पष्ट रूप से ऐसे किसी व्यवस्था की परिकल्पना नहीं करते हैं। एनबीएफसी के बीच उपरोक्त मानदंडों को सुसंगत बनाने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि एमएल और बीएल में भी एनबीएफसी को पात्र ऋण जोखिम अंतरण लिखतों के साथ अपने एक्सपोजर को ऑफसेट करने की अनुमति दी जाए।

***3. स्वर्ण ऋण- एकबारगी चुकौती योजना – यूसीबी***

यूसीबी को मार्च 2023 से आगे पीएसएल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक विस्तारित ग्लाइड पथ की अनुमति दी गई है। 31 मार्च 2023 तक निर्धारित पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, ऐसे यूसीबी, जिन्होंने 31 मार्च 2023 तक समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप- लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, के लिए एकबारगी(बुलेट) चुकौती योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा को ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख करने का निर्णय लिया गया है। इन बैंकों को उसके बाद लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखना होगा। प्रसंगवश, दिनांक 8 जून 2023 के परिपत्र, विवि.सीआरई.आरईसी.18/07.10.002/2023-24 के संदर्भ में, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय को बढ़ाते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी को प्रोत्साहन की घोषणा अलग से की जाएगी।

***4. रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए एसआरओ को मान्यता देने हेतु रूपरेखा***

अपने सदस्यों के बीच अनुपालन शिष्टता को मजबूत करने और नीति निर्माण के लिए एक परामर्शी मंच प्रदान करने में स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की संभावित भूमिका को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक की विभिन्न विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए एसआरओ को मान्यता देने हेतु एक बहुप्रयोजनीय रूपरेखा जारी की जाए। बहुप्रयोजनीय एसआरओ रूपरेखा, व्यापक उद्देश्यों, कार्यों, पात्रता मानदंड, सुशासन मानकों आदि को निर्धारित करेगा, जो सभी एसआरओ के लिए समान होगा, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। रिज़र्व बैंक ऐसे एसआरओ को पहचानने के लिए आवेदन मंगाते समय क्षेत्र-विशिष्ट अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सकता है।

**ii) भुगतान प्रणाली**

***5. भुगतान अवसंरचना विकास निधि - योजना का विस्तार और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करना***

भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना को रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2021 में तीन वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य टियर-3 से टियर-6 केंद्रों, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भौतिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस), क्विक रिस्पोंस (क्यूआर) कोड जैसे भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की तैनाती को प्रोत्साहित करना था। टियर-1 और 2 केंद्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को बाद में अगस्त 2021 में शामिल किया गया। अगस्त 2023 के अंत तक, इस योजना के अंतर्गत 2.66 करोड़ से अधिक नए टच पॉइंट तैनात किए गए हैं। अब पीआईडीएफ योजना को दो वर्षों की अवधि के लिए, अर्थात्, 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही, सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। पीआईडीएफ योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने का यह निर्णय जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में रिज़र्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, उद्योग से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, पीआईडीएफ योजना के अंतर्गत भुगतान स्वीकृति के उभरते माध्यमों, जैसे साउंडबॉक्स डिवाइस और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस की तैनाती को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इससे लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में भुगतान स्वीकृति अवसंरचना की तैनाती में और तेजी आनेतथा वृद्धि होने की उम्मीद है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 45वीं बैठक 4 से 6 अक्तूबर 2023 के दौरान आयोजित की गई।

तद्नुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के चौदहवें दिन अर्थात 20 अक्तूबर 2023 को इस बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

# II. विनियमन

## उद्गम UDGAM पोर्टल

रिज़र्व बैंक ने 5 अक्तूबर 2023 को सूचित किया कि 28 सितंबर 2023 को उद्गम पोर्टल में 30 बैंकों के लिए पता लगाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जो जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि (डीईए) में लगभग 90 प्रतिशत अदावी जमाराशियों (मूल्य के संदर्भ में) को शामिल करती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान

रिज़र्व बैंक ने 6 अक्तूबर 2023 को 31 मार्च 2023 तक समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए एकमुश्त पुनर्भुगतान योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋण की मौद्रिक सीमा को ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख कर दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## बैंक ऑफ बड़ौदा के विरुद्ध कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर 2023 को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा को 'बॉब वर्ल्ड' मोबाइल एप्लिकेशन पर अपने और ग्राहकों को शामिल करना, तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निदेश दिया। यह कार्रवाई इस मोबाइल एप्लिकेशन पर उनके ग्राहकों को शामिल करने की पद्धति में पाई गई कतिपय महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी समस्याओं पर आधारित थी। रिज़र्व बैंक ने बैंक को यह सुनिश्चित करने हेतु भी निदेश दिया कि पहले से जुड़े 'बॉब वर्ल्ड' ग्राहकों को इस निलंबन के कारण किसी भी व्यवधान का सामना न करना पड़े। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर 2023 को 31 मार्च 2024 या उसके बाद के एनबीएफसी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे की समीक्षा की और 1 अक्तूबर 2024 से इसका दायरा सरकारी एनबीएफसी (बेस लेयर को छोड़कर) तक बढ़ा दिया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

## बैंक के कार्यालय

20 अक्तूबर 2023 को, उप गवर्नर डॉ माइकल देबब्रत पात्र ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में रिज़र्व बैंक के एक उप-कार्यालय का उद्घाटन किया।

उप-कार्यालय ने i) वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफ़आईडीडी), ii) मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी), iii) उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष (सीईपीसी) और बाजार आसूचना कक्ष (एमआईसी) के साथ कार्य करना आरंभ किया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए मुद्रा प्रबंधन का कार्य बैंक के गुवाहाटी कार्यालय द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

इसके अलावा, 25 अक्तूबर 2023 को उप गवर्नर ने देहरादून, उत्तराखंड में रिज़र्व बैंक के अपने कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। देहरादून कार्यालय को 30 जून 2006 को एक उप-कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था और 1 नवंबर 2012 से इसे एक पूर्ण शाखा के रूप में अपग्रेड किया गया था।

## प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने 16 अक्तूबर 2023 को स्पष्ट किया कि बैंकों को फॉर्म 'ए' विवरणी में प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन की प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली का पालन करना चाहिए:

1) बैंकों के साथ प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन की रिपोर्ट निम्नानुसार की जानी चाहिए:

i) 14वें दिन सहित 14 दिन तक की मूल अवधि के लिए

ए) फॉर्म ए की मद III (बी) (अर्थात मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) और;

बी) फॉर्म ए के अनुलग्नक ए की मेमो मद 2.1 (अर्थात अंतर बैंक आस्तियों के अंतर्गत)

ii) मूल अवधियों के लिए 14 दिन से अधिक

ए) फॉर्म ए की मद III (सी) (अर्थात बैंकों को अग्रिम) और;

बी) फॉर्म ए के अनुलग्नक ए के मेमो मद 2.1 और 2.2 (अर्थात अंतर बैंक आस्तियों के तहत)

2) सभी अवधियों के लिए गैर-बैंकों (अन्य संस्थानों) के साथ प्रतिवर्ती रेपो लेनदेन को फॉर्म ए की मद VI (ए) के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए [अर्थात भारत में बैंक ऋण के अंतर्गत ऋण, नकद ऋण और ओवरड्राफ्ट (अंतर-बैंक अग्रिमों को छोड़कर)]। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## पूर्णकालिक निदेशक(कों) की नियुक्ति

रिज़र्व बैंक ने 25 अक्तूबर 2023 को बैंकों को सूचित किया कि वे अपने बोर्ड में एमडी और सीईओ सहित कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की उपस्थिति सुनिश्चित करें। डब्ल्यूटीडी की संख्या बैंक के बोर्ड द्वारा परिचालन के आकार, कारोबारी जटिलता और अन्य प्रासंगिक पहलुओं जैसे कारकों पर विचार करके तय की जाएगी। इसके अलावा, जो बैंक वर्तमान में उपर्युक्त न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे संबंधित परिपत्र जारी होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी (1) (बी) के अंतर्गत डब्ल्यूटीडी(एस) की नियुक्ति के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## दावारहित देयताओं की प्रस्तुति

रिज़र्व बैंक ने 25 अक्तूबर 2023 को सूचित किया कि सभी सहकारी बैंक 'आकस्मिक देयताओं-अन्य' के अंतर्गत सभी दावारहित देयताओं (जहां देय राशि डीईए निधि में अंतरित कर दी गई है) को प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, सभी बैंक वित्तीय विवरणों के खातों के लिए नोट में प्रकटीकरण में निर्दिष्ट करेंगे कि डीईए निधि में अंतरित राशि की शेष राशि 'अनुसूची 12-आकस्मिक देयताओं - अन्य मदों जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' अथवा 'आकस्मिक देयताएं - अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत शामिल हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## ग्राहक सेवा को सुदृढ़ करना

रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2023 को साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को निर्देश दिया कि जब ग्राहकों की ऋण सूचना रिपोर्ट वित्तीय संस्थानों द्वारा एक्सेस की जाती है, जहां ग्राहकों के मोबाइल नंबर / ईमेल विवरण उपलब्ध हैं, तब वे ग्राहकों को एसएमएस/ ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## ग्राहकों को मुआवजा

रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2023 को क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और साख सूचना कंपनियों (सीआईसी) को निर्देश दिया कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा सीआई/ सीआईसी के पास शिकायत दर्ज करने की तारीख से तीस कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर ग्राहकों की शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो वे ग्राहकों को ₹100 प्रति कैलेंडर दिन की दर से मुआवजा दें। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## अप्रतिदेय जमाराशि

रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2023 को जमाराशि पर ब्याज दर संबंधी मास्टर निदेश की समीक्षा की और निर्णय लिया कि i) अप्रतिदेय मियादी जमा प्रदान करने के लिए न्यूनतम राशि रुपये पंद्रह लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की जा सकता है; और ii) ये निर्देश अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा / साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमा के लिए भी लागू होंगे।। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए थोक जमा

रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2023 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए थोक जमाराशि सीमा बढ़ा दी। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए 'थोक जमाराशि' का अर्थ अब से एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमाराशि होगी। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## अकाउंट एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र

रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2023 को अकाउंट एग्रीगेटर (एए) पारिस्थितिकी तंत्र के कुशल और इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्णय लिया कि वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआई-यू) के रूप में एए पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने वाली बैंक की विनियमित संस्थाएं, आवश्यक रूप से वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में भी शामिल होंगी, यदि उनके पास निर्दिष्ट वित्तीय जानकारी है और एफआईपी की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## डीसीसीबी द्वारा शाखाओं का स्थानांतरण और बंद करना

रिज़र्व बैंक ने 30 अक्तूबर 2023 को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) द्वारा एक ही शहर, कस्बे या गांव के भीतर शाखाओं/ कार्यालयों / विस्तार काउंटरों को स्थानांतरित करने और बंद करने के बारे में अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी किए। बैंककारी विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 (ए) के अनुसार, डीसीसीबी कुछ शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना ग्रामीण या अर्ध-शहरी या शहरी/ महानगरीय क्षेत्रों में स्थित अपनी शाखाओं/ कार्यालयों/ विस्तार काउंटरों को स्थानांतरित या बंद कर सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## सहकारी बैंकों के नाम में परिवर्तन

रिज़र्व बैंक ने 30 अक्तूबर 2023 को अपने नाम में बदलाव के इच्छुक सहकारी बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। सहकारी बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 49बी और 49सी के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) से संपर्क करेंगे, जिसमें इस तरह के परिवर्तन के कारण स्पष्ट रूप से बताने होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

# III. भुगतान और निपटान प्रणाली

## ईसीएल पर कार्य समूह

रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2023 को बैंकों द्वारा प्रावधानीकरण के लिए ऋण की अपेक्षित हानि (ईसीएल) ढांचे पर एक बाह्य कार्य समूह का गठन किया। यह, बैंक द्वारा जनवरी 2023 में बैंकिंग प्रणाली को अधिक आघात-सहनीय बनाने के लिए हानी आधारित दृष्टिकोण से ईसीएल मॉडल में बदलाव पर एक चर्चा पत्र जारी करने के बाद किया गया। कार्यकारी समूह की अध्यक्षता आईआईएम, बैंगलोर के पूर्व प्रोफेसर प्रोफेसर आर. नारायणस्वामी करेंगे और इसमें शिक्षाविदों और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ-साथ चुनिंदा बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

# IV. ऋण प्रबंधन

## एफआरएसबी, 2020 (कर योग्य)

रिज़र्व बैंक ने 23 अक्तूबर 2023 को भारत सरकार के परामर्श से रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए उत्पादों की टोकरी का विस्तार किया, ताकि खुदरा निवेशक अस्थिर दर वाले बचत बॉण्ड (एफआरएसबी), 2020 (कर योग्य) में अभिदान कर सके। एफआरएसबी, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ब्याज वाले, गैर-व्यापार योग्य बांड हैं, जिसकी अदायगी जारी होने की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति पर की जाती है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

# V. फिनटेक

## HARBINGER 2023

रिज़र्व बैंक ने 12 अक्तूबर 2023 को अपने ग्लोबल हैकाथॉन – HARBINGER 2023 के दूसरे संस्करण के परिणामों की घोषणा की। अंतिम मूल्यांकन का तीसरा चरण 10-11 अक्तूबर 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, जिसमें 28 फाइनल टीमों ने एक स्वतंत्र निर्णायक समिति के समक्ष समस्या विवरणों के लिए अपने समाधान प्रस्तुत किए, जिन्होंने नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, उपयोगकर्ता अनुभव, सुरक्षा, कार्यान्वयन में आसानी जैसे मापदंडों के आधार पर विजेताओं और उप-विजेताओं का मूल्यांकन और चयन किया।

'ईज़ीटैप मोबाइल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (अब रेज़रपे द्वारा अधिग्रहित), भारत' को ग्लोबल हैकाथॉन - HARBINGER 2023 के इस संस्करण के विजेता के रूप में घोषित किया गया। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

# VI. प्रकाशन

## मौद्रिक नीति रिपोर्ट – अक्तूबर 2023

रिज़र्व बैंक ने 6 अक्तूबर 2023 को अक्तूबर 2023 को समाप्त छमाही के लिए मौद्रिक नीति रिपोर्ट ( एमपीआर ) प्रकाशित किया। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडएम के अंतर्गत बैंक हर छह महीने में एक बार एमपीआर प्रकाशित करता है। रिपोर्ट को 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है, अर्थात्:

i) समष्टि-आर्थिक समबावना,
ii) मूल्य और लागत,
iii) मांग और उत्पादन,
iv) वित्तीय बाजार और चलनिधि स्थितियाँ और
v) बाह्य परिवेश। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

## आरबीआई बुलेटिन

रिजर्व बैंक ने 19 अक्तूबर 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का अक्तूबर 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में दो भाषण, छह आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। छह आलेख हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति,
ii) अनिश्चितता को मापना: एक भारतीय परिप्रेक्ष्य,
iii) भारत में बैंक की लाभप्रदता पर जी-सेक प्रतिफल संबंधी गतिविधियों का प्रभाव,
iv) उत्पादन भारित वर्षा सूचकांक और कृषि उत्पादन: संबंध का पुनरावलोकन,
v) आवास वित्त कंपनियां और कोविड-19 महामारी: क्या आकार मायने रखता है?
vi) कोविड-19 महामारी और भारत के अनुसंधान एवं विकास व्यय की आघात सहनीयता

विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

# VII. सर्वेक्षण

## पूर्वानुमान सर्वेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अक्तूबर 2023 को निम्नलिखित सर्वेक्षणों के परिणाम जारी किए:

i) उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) – सितंबर 2023
ii) परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच) – सितंबर 2023
iii) विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2023-24 की पहली तिमाही
iv) 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण
v) समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण - 84वां दौर
vi) 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए बैंक ऋण सर्वेक्षण
vii) 2023-24 की दूसरी तिमाही के लिए सेवाएं और आधारभूत संरचना संभावना सर्वेक्षण

विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

# VIII. जारी आंकड़े

अक्तूबर 2023 महीने के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

| क्रम सं | शीर्षक |
|---|---|
| 1 | ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी: अगस्त 2023 |
| 2 | अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण |
| 3 | भारत का अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार: अगस्त 2023 |
| 4 | बैंक ऋण की क्षेत्रीय अभिनियोजन– सितंबर 2023 |
| 5 | सितंबर 2023 के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश |

**योगेश दयाल** द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।